निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 54/2025
दायरा दिनांकः—01.07.2025
निर्णय दिनांकः— 4.11.25

उनवान

1. सोनिका गोत्तम आयु 38 वर्ष पुत्री सुरेशचन्द पत्नि राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी सेमला हाल मयूर कॉलोनी छबडा तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 4.11.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राकेश गालव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136, एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि 1. वाके माल निपानियां पटवार हल्का निपानियां तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान की भूमि खाता संख्या 106 खसरा संख्या 122 रकबा 0.1517 हैक्टयर, खसरा संख्या 123 रकबा 0.2023 हैक्टयर, खसरा संख्या 131 रकबा 0.2782 हैक्टयर, खसरा संख्या 278 रकबा 1.8209 हैक्टयर, खसरा संख्या 280 रकबा 0.9737 हैक्टयर, खसरा संख्या 471 रकबा 2. 4026 हैक्टयर, कुल खसरे 6 कुल रकबा 5.8294 हैक्टयर, जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/32 स्थित है एंव खाता संख्या 107 खसरा संख्या 124 रकबा 0.0379 हैक्टयर, जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/64 दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे उपरोक्त वर्णित भूमियात प्रार्थीया की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थीया अपने पूर्वजो के समय से काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित पेतृक आराजीयात का नामान्तरण खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा सहवन से प्रार्थीया का घर मे बोलता नाम निशा पुत्री सुरेशचंद अमल दरामद कर दिया गया है। प्रार्थीया का घर मे बोलता नाम निशा है एव दस्तावेजी नाम सोनिका गोत्तम पुत्री सुरेशचंद है। खातेदारी में प्रार्थीया का नाम निशा दर्ज होना लिपिकीय त्रुटी है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त गलती को दुरूस्त नही किया गया तो प्रार्थीया को अपने साम्पत्तिक अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा। उक्त लिपिकीय त्रुटी के कारण प्रार्थीया को अपने खातेदारी अधिकारों के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

केन्द्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल रहा है जिसके कारण प्रार्थीया अपनी उक्त भूमि को उन्नत करने में असक्षम है न तो प्रार्थीया को के.सी.सी. मिल रही है ना ही विद्युत कनेक्शन ले पा रही है इसलिए प्रार्थीया को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब/रिपोर्ट प्राप्त जो शा. मि. है। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 106 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 107 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक जोब कार्ड की प्रति पेश कि गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थीया की पैत्रक सम्पत्ति हे जिस पर प्रार्थीया अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थीया का घर का बोलता नाम निशा पुत्री सुरेशचन्द के नाम से दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम सोनिाक गोत्तम पुत्री सुरेशचन्द है। प्रार्थी का नाम लिपीकीय त्रुटि से गलत दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थीया दुरूस्त कराने की अधिकारी है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण केन्द्र व राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ नही मिल रहा है। प्रार्थीया को के.सी.सी व विघुत कनेक्शन नही हो पा रहा है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात में सही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम कस्बा छबडा में मजमेंआम उपस्थित होंकर प्रार्थीया सोनिका गोत्तम पुत्री सुरेशचन्द जाति ब्राहम्ण के नाम से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गई उपस्थित मोतवीरान एवं प्रार्थीया के भाई रघुवीर सिंह गोत्तम ने बताया कि प्रार्थीया को बचपन में निशा के नाम से जाना जाता था जबकि उसका मूल नाम सोनिका गोत्तम था प्रार्थीया के भाई ने यह भी बताया कि सोनिका उर्फ निशा की शादी ग्राम सेमला में की गई थी जो कि वर्तमान में मयूर कॉलोनी छबडा में निवास कर रही है प्रार्थीया के बारे में ओर जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त दोनो नाम निशा एवं सोनिका एक ही महिला के दो नाम है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 106 में निशा पुत्री सुरेशचन्द हिस्सा 1/32 नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 107 में निशा पुत्री सुरेशचन्द हिस्सा 1/64 बतौर सहखातेदार नाम दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जोब कार्ड में प्रार्थीया का नाम सोनिका पुत्री सुरेश्चन्द दर्ज है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ा व सोनिका गोतम दोनो नाम एक ही महिला के होना बताया है। यह विचारणीय है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में सोनिका पत्नि राधेश्याम अंकित है। एवं जमाबन्दी में निशा पुत्री सुरेशचन्द दर्ज है यह दोनो ही इन्द्राज बिलकुल अलग-अलग है अर्थात इस आधार पर यह नही कहा जा सकता है कि सोनिका गोतम एवं निशा एक ही महिला है प्रार्थीया साक्ष्य/सबूतों के आधार पर आनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है परन्तु अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 (समरी प्रक्रिया) के तहत आनुतोष नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा